

## पदों की व्याख्या

| पद               | व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विनियोग लेखे     | विधान सभा द्वारा प्रत्येक मतदेय अनुदानों एवं भारित विनियोगों के अन्तर्गत बजट अनुदान में प्राधिकृत कुल निधियों (मूल एवं अनुपूरक) की धनराशि की तुलना में प्रत्येक के विरुद्ध व्यय धनराशि एवं प्रत्येक अनुदान या विनियोग के अन्तर्गत बचत या आधिक्य का विवरण विनियोग लेखे में होता है। मतदेय अनुदान/भारित विनियोग से अधिक किसी भी व्यय का विधायिका द्वारा विनियमन अपेक्षित होता है।                                                                                     |
| स्वायत्त निकाय   | जब कभी सरकारी व्यवस्था से अलग कुछ सीमा तक स्वतंत्रता एवं सरकारी कार्य प्रणाली के दिन-प्रतिदिन के हस्तक्षेप के बगैर, लचीलेपन के साथ कुछ क्रियाओं को संपादित करने की आवश्यकता महसूस होती है तब स्वायत्त निकायों (प्रायः पंजीकृत समितियां या सांविधिक निगमों) की स्थापना की जाती है।                                                                                                                                                                                   |
| उछाल अनुपात      | उछाल अनुपात आधार चर में दिए गए परिवर्तन के सापेक्ष किसी राजकोषीय चर की प्रतिक्रिया के लोच या परिमाण को इंगित करता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| वचनबद्ध व्यय     | राजस्व लेखों पर राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी, जिस पर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण होता है, शामिल होते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| आकस्मिक देयतायें | आकस्मिक देयताओं पर व्यय, भविष्य में किसी घटना के घटित होने पर किया या नहीं किया जा सकता है जैसे न्यायालयी प्रकरण।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ऋण संवहनीयता     | राज्य द्वारा ऋण-जीएसडीपी के अनुपात को स्थिर रखने की क्षमता को ऋण संवहनीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है और यह ऋण के सर्विस की क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। इस प्रकार ऋण संवहनीयता चालू या वचनबद्ध देयताओं की पूर्ति हेतु तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता तथा लागत एवं अतिरिक्त ऋण के साथ उस पर प्रतिफल के मध्य सन्तुलन बनाने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसका तात्पर्य यह है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि का ऋण के सर्विस की क्षमता से सुमेल होना चाहिए। |
| ऋण स्थिरता       | स्थिरता के लिये आवश्यक शर्त है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, ब्याज दर या सार्वजनिक ऋण की लागत से अधिक है तो ऋण-जीएसडीपी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| पद                            | व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | अनुपात संभवतः स्थिर होगा बशर्ते प्राथमिक अवशेष या तो शून्य या धनात्मक या मामूली ऋणात्मक हो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| आन्तरिक ऋण                    | आन्तरिक ऋण में भारत में लोगों से प्राप्त नियमित ऋण, जिसे 'भारत में उगाहा गया ऋण' भी कहा जाता है, शामिल है। यह संचित निधि में जमा किये जाने वाले ऋण तक सीमित होता है।                                                                                                                                                                                                                                               |
| उधार निधियों की निवल उपलब्धता | इसे ऋण विमोचन (मूलधन और ब्याज का भुगतान) के कुल ऋण प्राप्तियों से अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा यह उस सीमा को प्रदर्शित करता है जिसमें ऋण प्राप्तियों का उपयोग उधार निधियों की निवल उपलब्धता को दर्शाने वाले ऋणों के विमोचन में किया जाता है।                                                                                                                                                        |
| प्राथमिक घाटा/ आधिक्य         | राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान को घटाने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। इसे सरकार के राजस्व प्राप्तियों एवं गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों पर गैर-ब्याज व्यय के आधिक्य के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है।                                                                                                                                                                                                        |
| लोक लेखा समिति                | विधान सभा द्वारा गठित समिति जो भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के राज्य के विनियोग लेखे, राज्य के वार्षिक वित्तीय लेखे या इस प्रकार के अन्य लेखे या वित्तीय मामलों से सम्बन्धित प्रतिवेदनों, जिसे इसके समक्ष रखा जाय या जिसकी जाँच करना समिति आवश्यक समझे, की जाँच करती है।                                                                                                                                       |
| पुनर्विनियोग                  | विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से अन्य उसी प्रकार की इकाई को निधियों का अन्तरण।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| निक्षेप निधि                  | एक निधि जिसमें सरकार कुछ समय बाद अपने ऋणों से मुक्ति हेतु धन आरक्षित करती है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| अनुपूरक अनुदान                | यदि संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुरूप निर्मित विधि द्वारा प्राधिकृत धनराशि चालू वित्त वर्ष के किसी विशेष सेवा पर उसी उद्देश्य हेतु व्यय के लिये अपर्याप्त पायी जाती है या जब उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल न की गयी किसी नयी सेवा के लिये अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हुई हो तब सरकार संविधान के अनुच्छेद 205 के प्रावधान के अनुरूप अनुपूरक अनुदान या विनियोग लाती है। |

## प्रथमाक्षरी

| प्रथमाक्षरी     | पूर्ण विस्तार                                  |
|-----------------|------------------------------------------------|
| एसी बिल         | संक्षिप्त आकस्मिक बिल                          |
| एजीएम           | वार्षिक आम सभा                                 |
| बीओसीडब्लू एक्ट | भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम        |
| सीएजी           | भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक                |
| सीएजीआर         | मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर                      |
| सीसीओ           | मुख्य नियंत्रक अधिकारी                         |
| सीजीए           | महालेखा नियंत्रक                               |
| सीएसएफ          | समेकित निक्षेप निधि                            |
| डीसीसी बिल      | विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल           |
| डीसीपीएस        | परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना                   |
| ईबीआईटी         | ब्याज एवं करों से पूर्व का लाभ                 |
| एफसी            | वित्त आयोग                                     |
| एफआरबीएम एक्ट   | राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम |
| जीडीपी          | सकल घरेलू उत्पाद                               |
| जीओआई           | भारत सरकार                                     |
| जीओयूपी         | उत्तर प्रदेश सरकार                             |
| जीएसडीपी        | सकल राज्य घरेलू उत्पाद                         |
| जीएसटी          | वस्तु एवं सेवा कर                              |
| आईजीएसटी        | एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर                       |
| इंड एसएस        | भारतीय लेखांकन मानक                            |
| एमएच            | मुख्य शीर्ष                                    |
| एमटीएफआरपी      | मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति            |
| एनएसडीएल        | राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड        |
| पीएसी           | लोक लेखा समिति                                 |
| पीएओ            | वेतन एवं लेखाधिकारी                            |
| पीडी एकाउण्ट    | वैयक्तिक जमा खाता                              |
| पीएलए           | वैयक्तिक लेजर खाता                             |
| पीपीपी          | सार्वजनिक निजी भागीदारी                        |
| पीआरआई          | पंचायती राज संस्थाएं                           |
| पीएसयूज़        | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम                    |
| आरओसीई          | नियोजित पूँजी पर प्रतिफल                       |
| आरओई            | पूँजी पर प्रतिफल                               |
| एसडीआरएफ        | राज्य आपदा अनुक्रिया निधि                      |
| एसजीएसटी        | राज्य वस्तु एवं सेवा कर                        |
| यूसी            | उपभोग प्रमाण—पत्र                              |
| उदय             | उज्जवल डिस्कॉम्स एश्योरेंस योजना               |
| यूपीबीएम        | उत्तर प्रदेश बजट नियमावली                      |